ले.प.प्रति.सं.-65/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **उत्तरकाशी** के 12/2015 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज पाल, **लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक 25.02.2019 से 01.03.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक-इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री टी. एस. नेगी,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री ललित थपलियाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस. के. पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनाँक 05/12/2015 से 09/12/2015 तक श्री पुष्कर,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी, जिसमे 10/2006से 11/2015 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र-उत्तरकाशी

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	53.69	51.39	19.78	19.54	-	2.54
2016-17	-	-	61.87	41.99	27.02	18.88	-	19.9
2017-18	-	-	52.89	52.77	18.34	18.34	-	0.61
2018-19 (1/2019 तक)	-	-	71.09	52.26	22.25	16.54	-	-

(ब)Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	प्राप्त	व्ययआधिक्य(+)	बचत(-)
............................शून्य..............................					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई "सी" श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

अर्थ एवं संख्याधिकारी
अपर सांखिकीय अधिकारी
सहायक सांखिकीय अधिकारी
प्रधान सहायक
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **उत्तरकाशी** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/19 एवं 03/16 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।
(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ</u>

-----------------शून्य -----------------

भाग दो-'ब'

प्रस्तर:1- अत्यधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नवाचार निधि के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का पूर्ण न होना ₹52.78 लाख।

कार्यालय में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत "जिला नवाचार निधि" के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित योजनाएँ लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पायी थी :

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्था का नाम	लागत ₹ लाख में	वर्ष
1	Livelihood enhancement of rural community of Har Ki Doon	Institute of Development Support	9.19	2015-16
2	Electricals LED का उत्पादन	Society for environmental education of mountain area,Joshiyara,Uttarkashi	6.36	2015-16
3	Multimedia based education in government primary schools of Uttarkashi	श्री केदार जन विकास समिति, डुंडा, उत्तरकाशी	10.73	2015-16
4	Creating farmers market for economic and environmental growth and sustainability in the Himalayan region	हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी agroसंस्थान, उत्तरकाशी	8.68	2015-16
5	चीड़ के पेड़ की पत्तियों एवं क्षेतियों से हवन सामग्री बनाना	जनजाति महिला कल्याण एवं बालोत्थान समिति	4.15	2015-16
6	Strengthen the livelihoods of rural community by promotion of herbs cultivation in Garhwal Himalayas	ग्रामीण विकास तकनीकी संस्थान, डुंडा, उत्तरकाशी	7.31	2015-16
7	To impart training of LED bulbs and bamboo decorative light to the selected beneficiaries comprising of unemployed youth and woman	बागवान ग्रामोद्योग समिति	6.36	2015-16
कुल			**₹ 52.78 लाख**	

उपरोक्त के पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि क्र. सं. 1 पर परियोजना में पंजीकरण में विलंब होने के कारण परियोजना में प्रगति नहीं हो पा रही है।क्र. सं. 2 पर परियोजना विलंब में प्रारम्भ होने के कारण परियोजना पूर्ण नहीं हो पाई। तथा क्र. सं. 3 से 7 तक परियोजनाओं हेतु संस्था द्वारा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए हैं जिस कारण विलंब हो रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कई वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका, जिससे उद्देश्यों कि पूर्ति नहीं हो सकी। परियोजनाओं की देख-रेख करना तथा वे समय सीमा में पूर्ण हों यह सुनिश्चित करना इकाई का दायित्व था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- नवाचार निधि के अंतर्गत अप्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 5.3 लाख।

कार्यालय में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत "जिला नवाचार निधि" के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए:

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्था का नाम	लागत ₹ लाख में	अप्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की लागत ₹ लाख
1	Creating farmers market for economic and environmental growth and sustainability in the Himalayan region	हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी agroसंस्थान, उत्तरकाशी	8.68	3	1.734
2	चीड़ के पेड़ की पत्तियों एवं क्षेतियों से हवन सामग्री बनाना	जनजाति महिला कल्याण एवं बालोत्थान समिति	4.15	3	0.83
3	Strengthen the livelihoods of rural community by promotion of herbs cultivation in Garhwal Himalayas	ग्रामीण विकास तकनीकी संस्थान, डुंडा, उत्तरकाशी	7.31	3	1.463
4	To impart training of LED bulbs and bamboo decorative light to the selected beneficiaries comprising of unemployed youth and woman	बागवान ग्रामोद्योग समिति	6.36	3	1.268
कुल					**₹ 5.3 लाख**

उपरोक्त के संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि संस्था द्वारा परियोजना पूर्ण होने संबंधी अभिलेखों के साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाएंगे।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:2-</u> कार्यालय के महत्वपूर्ण पदों के रिक्त रहने के कारण आवश्यक कार्यों का प्रभावित होना।

अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में सहायक सांख्ययिकी अधिकारी का दायित्व आंकड़ों का संकलन, योजनाओं का सत्यापन, पत्रिकाओं का प्रकाशन, एवं NSS संबंधी कार्य करना, तथा प्रधान सहायक का कार्य स्थापना संबंधी कार्य, कोषागार व बैंक संबंधी कार्य तथा डाक करना इत्यादि है।

कार्यालय के स्वीकृत नियतन, उपलब्धतता एवं रिक्तियों से संबंधी पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि सहायक सांख्यकीय अधिकारी के 8 स्वीकृत पदों के सापेक्ष एक भी अधिकारी की तैनाती नहीं थी, तथा कार्यालय में स्वीकृत 1 प्रधान सहायक का पद भी रिक्त था। इस कारण कार्यालय मे आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे थे तथा कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो रहे थे, तथा कार्यरत कर्मियों पर अतिरिक्त भार हो रहा था।

उक्त के इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उक्त को स्वीकार करते हुए बताया गया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया निदेशालय द्वारा की जाती है।

उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग की उदासीनता के चलते कार्यालय के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिस कारण कार्यालय में कार्य संचालन प्रभावित हो रहा था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-**शून्य**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 ‘अ‘ प्रस्तर संख्या	भाग-2 ‘ब‘ प्रस्तर संख्या	STAN

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-**शून्य**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्रीदिनेश चन्द्र बडोनी	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	20/2/10	28/5/16
2.	श्री डी.एस. सजवाण	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	28/5/16	28/2/17
3	श्री मोहित चौधरी (बाल विकास विभाग)	अतिरिक्त प्रभार - जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	1/3/17	27/10/17
4	श्री वी.के. पुरी	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	28/10/17	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलितकर एक प्रति **कार्यालय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र